माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की अध्यक्षता में दिनांक–20.05.2016 को संपन्न झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की तृतीय बैठक की कार्यवाही :

आज दिनांक–20.05.2016 को अपराह्न 3:00–4.15 बजे झारखण्ड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय कक्ष में झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की तृतीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :–

1. मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार।

2. मुख्य (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन) मंत्री,
   सदस्य, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार।

3. मुख्य (योजना–सह–वित्त) मंत्री,
   सदस्य, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार।

4. मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री,
   सदस्य, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार।

5. मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
   सदस्य, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार।

6. मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
   राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार।

7. अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
   विशेष आमंत्रित सदस्य।

8. अपर मुख्य सचिव–योजना–सह–वित्त विभाग, विशेष आमंत्रित सदस्य।
   विशेष आमंत्रित सदस्य।

9. मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव,
   विशेष आमंत्रित सदस्य।

10. मुख्यमंत्री के सचिव एवं सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
    विशेष आमंत्रित सदस्य।

11. उप महानिदेशक,
    अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा, झारखण्ड, राँची
    विशेष आमंत्रित सदस्य।

सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राधिकार की बैठक में उपस्थित अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यावली पर प्रकाश डाला गया तथा कार्यावलियों के बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध कराते हुए बिन्दुवार चर्चा की गयी।

झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की तृतीय बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

कार्यवाही संख्या–1

माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा माननीय अनुपस्थित सदस्यों का विशेष अवकाश का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही संख्या–02

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के प्रशासनिक कार्यालय के गठन का प्रस्ताव।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के प्रशासनिक कार्यालय के गठन हेतु संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रशासी पदवर्ग समिति के माध्यम से पद सृजित कराते हुए गठन की प्रक्रिया एक महीने में पूरा करने का निदेश दिया गया । इसी प्रकार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के प्रशासनिक कार्यालय के गठन के प्रस्ताव को भी प्रशासी पदवर्ग समिति के माध्यम से पद सृजित कराते हुए गठन की प्रक्रिया एक महीने में पूरा करने का निदेश दिया गया ।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के प्रशासनिक कार्यालय को नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के नवनिर्मित भवन में अधिष्ठापित करने का निदेश दिया गया ।

कार्यवाही संख्या–03

राज्य एवं जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं अनुमोदन का प्रस्ताव ।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना एवं सभी 24 जिलों की जिला आपदा प्रबंधन योजना का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा अनुमोदन किया गया ।

कार्यवाही संख्या–04

झारखण्ड आपदा मोचन बल (JDRF) के गठन के प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति की समीक्षा।

माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा झारखण्ड आपदा मोचन बल का नामकरण झारखण्ड डिजास्टर रिस्पौन्स फोर्स करते हुए इस फोर्स में 18–25 वर्ष के युवाओं को चयनित कर एक कंपनी के गठन का निदेश दिया ।

कार्यवाही संख्या–05

कार्यवाही संख्या–05

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं सभी 24 जिलों के लिए जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव ।

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं सभी 24 जिलों में जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के अधिष्ठापन हेतु निदेश दिया गया कि राज्य में एक राज्य आपतकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना की जाय एवं सभी जिलों में क्रियाशील जिला नियंत्रण कक्ष (पुलिस कंट्रोल रूम) का आधुनिकीकरण करते हुए उसे EOCs के रूप में Upgrade करते हुए दो माह में क्रियाशील किया जाय। राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के प्रशासनिक कार्यालय के साथ अधिष्ठापित करने का भी निदेश दिया गया ।

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को नई राजधानी में प्रस्तावित सचिवालय भवन में भविष्य में स्थानान्तरित किये जाने का निदेश दिया गया ।

कार्यवाही संख्या–06

आपदा प्रबंधन–सह–नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव।

नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के नवनिर्मित भवन में आपदा प्रबंधन–सह–नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए तीन महीने में संस्थान को क्रियाशील करने का निदेश दिया गया ।

कार्यवाही संख्या–07

आपदा प्रबंधन हेतु सभी 24 जिलों में प्रत्येक जिलावार 100 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक को आपदा प्रबंधन में विशिष्ठ रूप से प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव।

प्रत्येक जिला में 100 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक को तैयार करने का निदेश दिया गया । इन सभी स्वयंसेवकों के नियंत्रक उपायुक्त एवं नोडल पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी होंगे ।

कार्यवाही संख्या–08

अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा का सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव।

माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा को सुदृढ़ करने के लिए चार शहरों राँची, धनबाद, जमशेदपुर एवं देवघर में ऊँची इमारतों के लिए आगजनी से बचाव हेतु Hydrolic Elevated Platform आधारित Fire Tender के क्रय का निदेश दिया । साथ–साथ घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए मोटर साईकिल आधारित Fire Tender के क्रय का भी निदेश दिया गया । इसके लिए अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा द्वारा आपदा प्रबंधन प्रभाग को अधियाचना प्रेषित करने का निदेश दिया गया ।

कार्यवाही संख्या–09

कर्नाटक राज्य आपदा शमन केन्द्र के तर्ज पर सूखा एवं वज्रपात की पूर्व सूचना, अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं राज्य के पंचायत स्तर तक समुचित संचार तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव ।

झारखण्ड में कर्नाटक राज्य आपदा शमन केन्द्र के तर्ज पर सूखा एवं वज्रपात की पूर्व सूचना, अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं राज्य के पंचायत स्तर तक समुचित संचार तंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । इस कार्य को तीन महीने में पूरा करने का निदेश दिया गया ।

कार्यवाही संख्या–10

क्षमता संवर्द्धन :–

क्षमता संवर्द्धन में वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपलब्ध कुल राशि 40.76 करोड़ को व्यय करने के निदेश के साथ–साथ निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया :–

10.1 राज्य एवं जिला स्तर पर आपातकालीन परिचालन केन्द्र (Emergency Operation Center/EOCs) की स्थापना एवं परिचालन ।

10.2 राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को सहयोग ।

10.3 आपदा प्रबंधन–सह–नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव ।

10.4 आपदा प्रबंधन की रोकथाम एवं शमन हेतु शिक्षा, औधोगिक/खनन, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक योजना का प्रस्ताव।

10.5 कर्नाटक राज्य आपदा शमन केन्द्र के तर्ज पर सूखा एवं वज्रपात की पूर्व सूचना, अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं राज्य के पंचायत स्तर तक समुचित संचार तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव ।

10.6 एन०सी०सी०, नेहरू युवा केन्द्र एवं आपदा प्रबंधन में विशिष्ट युवाओं को चिन्हित करते हुए आपदा प्रबंधन हेतु स्थानीय मानव संसाधन को प्रशिक्षण देकर तैयार करने का निदेश दिया गया ।

कार्यवाही संख्या–11

राज्य आपदा मोचन निधि (14वीं वित्त–आयोग) से दिए गए अनुदानों का वर्ष 2015–16 की विवरणी एवं अद्यतन स्थिति ।

राज्य आपदा मोचन निधि से दिये गये अनुदानों का वर्ष 2015–16 के विवरणी एवं अद्यतन स्थिति से प्राधिकार को अवगत कराया गया ।

कार्यवाही संख्या–12

राज्य आपदा प्रबंधन नियमावली (कृत्य एवं प्रबंधन, 2014) के अद्यतन स्थिति की समीक्षा।

झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन नियमावली कृत्य एवं प्रबंधन की अद्यतन स्थिति से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सभी सदस्यों को अवगत कराया गया । इसे तीन माह में पूरा करने का निदेश दिया गया ।

कार्यवाही संख्या–13

झारखण्ड खनन एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की धनबाद में स्थापना का प्रस्ताव।

6.1 झारखण्ड में खनन जनित आपदा का प्रकोप होता है। जिसके प्रशिक्षण के लिए सीमित क्षमता उपलब्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की धनबाद में उच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थापना करने का निर्णय लिया गया ।

6.2 आपदा प्रबंधन संस्थान के धनबाद में स्थापना का मुख्य उद्देश्य खनन जनित आपदाओं के रोकथाम, बचाव एवं प्रबंधन हेतु उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में कार्य करना है साथ ही यह संस्थान सभी Stake Holders को अन्य सभी प्रकार की आपदाओं का भी प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शोध तथा प्रचार–प्रसार हेतु क्रियाशील करने का निर्णय लिया गया ।

6.3 धनबाद जिला के निरसा अंचल में चिन्हित 66 एकड़ गैर मजरूआ भूमि पर राज्य आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यवाही संख्या–14

जमशेदपुर में झारखण्ड राज्य एवं टाटा स्टील के संयुक्त तत्वाधान में झारखण्ड औधोगिक आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव।

जमशेदपुर में झारखण्ड राज्य एवं टाटा स्टील के संयुक्त तत्वाधान में झारखण्ड औधोगिक आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा स्वंय स्थापित करने का निदेश दिया गया । इसमें टाटा स्टील के सहयोग की आवश्यकता को अनुमोदित नहीं किया गया ।

कार्यवाही संख्या–15

राज्य आपदा प्रबंधन आपातकालीन परिचालन केन्द्र परिसर (SEOC) की स्थापना का प्रस्ताव।

राज्य आपदा प्रबंधन आपातकालीन परिचालन केन्द्र परिसर (SEOC) की स्थापना की आवश्यकता नहीं महसूस की गयी ।

कार्यवाही संख्या–16

केन्द्र सरकार के आपदा सूची (SDRF) में वज्रपात को भी शामिल करने हेतु विभाग द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर विवेचना ।

केन्द्र सरकार के आपदा सूची (SDRF) में वज्रपात को भी शामिल करने हेतु विभाग द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया।

कार्यवाही संख्या–17

अन्यान्य – राज्य के महत्वपूर्ण भवनों मुख्यमंत्री सचिवालय, नेपाल हाउस, राज्यपाल सचिवालय परिसर, मुख्यमंत्री आवास इत्यादि, महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल, सभी कस्तूरबा विधालय एवं आदिवासी कल्याण विधालय परिसरों में तड़ित रोधक लगाने का निदेश दिया गया ।

अन्त में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की अगली बैठक तीन महीने बाद कराने का निदेश देते हुए संधन्यवाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की तृतीय बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई ।

अपर मुख्य सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची।

अपर मुख्य सचिव,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, झारखण्ड, राँची

27/5/2016

मुख्य (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन) मंत्री–सह–अध्यक्ष,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक :– 07 / आ०प्र०(SDMA)–01 / 2013–578 / आ०प्र०, राँची, दिनांक :– 03/06/16

प्रतिलिपि :– 1. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, झारखण्ड के सभी माननीय सदस्यों के आप्त सचिव / मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, झारखण्ड के आप्त सचिव / विशेष आमंत्रित सदस्यों, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित (सूची संलग्न)।
2. आयुक्त, नागरिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्राधिकार की बैठक में आपके कार्यालय से संबंधित बिन्दुओं पर लिय गये निर्णय के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए विभाग को अवगत करने की कृपा की जाय।
3. सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित कार्यवाही बिन्दुओं पर नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए विभाग को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के विशेष सचिव

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार

↓

अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, झारखण्ड

↓

सदस्य

- मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग.
- मंत्री, योजना–सह–वित्त विभाग
- मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
- मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
- मंत्री, जल संसाधन विभाग
- मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
- मंत्री, पथ निर्माण विभाग

सदस्य–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी → मुख्य सचिव

↓

सदस्य सचिव

↓

प्रबंधन निदेशक

- निजी सहायक
- वाहन चालक
- आदेशपाल

↓

सचिव

↓

आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन स्कन्ध

- निदेशक
- उप/अवर सचिव
- सहायक
- आदेशपाल
- वाहन चालक

क्षमता संवर्द्धन स्कन्ध

- क्षमता संवर्द्धन पदाधिकारी
- सहायक

तकनीकी सूचना एवं संचार स्कन्ध

- तकनीकी एवं संचार पदाधिकारी
- तकनीकी सहायक

प्रशासनिक एवं वित्त स्कन्ध

- उप सचिव (प्रतिनियुक्ति पर)
- प्रशासनिक पदाधिकारी
- सहायक

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार

↓

अध्यक्ष, उपायुक्त

↓

सह–अध्यक्ष — स्थानीय प्राधिकार के अध्यक्ष (जिला परिषद् के चुनाव के उपरांत इसके अध्यक्ष पदेन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सह–अध्यक्ष होंगे)

↓

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी → अपर समाहर्ता/अपर उपायुक्त

↓

सदस्य

→ पुलिस अधीक्षक
→ उप विकास आयुक्त
→ मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
→ कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

↓

जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी

↓

तकनीकी सहायक

↓

आदेशपाल